न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 99 / 13</u> निर्णय दिनांकः 04.09.2018

1. उम्मेद सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खांसोली तहसील व जिला चूरू।

अपीलांट्

—बनाम—

1. हसंराज पुत्र खुमानाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 22—03—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 22—03—2000 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवटन कर दिया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने चक 02 डीएल के मुरब्बा नम्बर 167/10 का बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। अपीलांट द्वारा नियमानुसार कब्जा प्राप्त करते हुए बरवक्त कब्जा 10 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई। अपीलांट को उक्त रकबा आज दिनांक को भी आवंटित है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के आवंटन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारियों की थी।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एकतरफा तौर पर कर दिया गया। कानूनन जब एक बार किसी आराजी का आवंटन होने के पश्चात् उसी रकबे का दुबारा आवंटन नहीं किया जा सकता। चूंकि वादगत् आराजी का आवंटन अपीलांट को हो चुका था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से खारिज योग्य व प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समन रजिस्टर्ड जारी होने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 05—08—2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई व मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रस्तुत होने पर यह अंकित किया गया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तत तमाम सबूतों के अनुसार राजस्थान का निवासी, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, सिलिंग सीमा की जॉच के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी जैर की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के संबंध में तमाम राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट के नाम दर्जशुदा हो चुके है।

राजकीय अभिभाषक ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील करीब 13 वर्ष उपरान्त पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वादगत् भूमि चक 2 डीएल के मुरब्बा नम्बर 167/10 में 8 बीघा व 167/26 में 10 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन आवंटन बतौर भूमिहीन आवंटन अपीलांट को किया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा उक्त आराजी जैर का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को इस आधार पर आवंटन किया गया कि आराजी जैर के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पात्रता धोषित करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाते हुए आवंटन किया गया है।

(2) प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलांट के आवंटन का अवलोकन किया गया। इस संबंध में अपीलांट के आवंटप पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट को चक 2 डीएल के मुरब्बा नम्बर 167/10 में 8 बीघा व 167/26 में 10 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 18 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। जबकि अपीलांट की आवंटन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट को चक 1 बीआरडब्ल्यू एम के मुरब्बा नम्बर 142/19 में 18 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था।

(3) दूसरी तरफ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की पत्रावली का भी भलीभांति अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 2 केपीएम के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे कांट—छांट करते हुए चक 2 डीएल किया गया है। इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 63/41 को कांट कर 167/10 किया गया हैं इस प्रकार यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र पर कांट छाट करते हुए आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है।

(4) इस प्रकार प्रकरण में दोनों ही आवंटन अर्थात अपीलांट/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन अपने आप में संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में हम उचित पाते है कि अधिनस्थ न्यायालय दोनों आवंटनों की विधि के परिप्रेक्ष्य में जॉच करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में दोनों आवंटनों की जॉच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर